राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3(एस– 222/94)/अलेसे–II/ 1512-18 दिनांकः– 25-2-2021

कार्यालय आदेश

श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं. 5163), कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जालौर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 06.04.2016 द्वारा दिनांक 29.03.2016 से निलम्बित किया गया। कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 18.06.2019 में वित्त सचिव (राजस्व) द्वारा श्री सोमेश वशिष्ठ को निलंबन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 26.06.2019 द्वारा श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –II को निलंबन से बहाल किया गया निलंबन काल का निर्णय न्यायिक निर्णय के अधीन रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया।

श्री सोमेश वशिष्ठ ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11042/2020 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 09.11.2020 को निर्णय पारित किया। "In view of the limited prayer addressed; the instant writ proceedings are closed with a direction to the petitioner to address a comprehensive representation within two weeks hereinafter, enclosing a copy of the judgment, which has been referred to and relied upon in support of his claim.

In case, representation is so addressed within the aforesaid period, the state-respondents are directed to consider and decide the same by reasoned and speaking order in accordance with law as expeditiously as possible, however, in no case later then three months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order;"

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के क्रम में श्री वशिष्ठ ने दिनांक 20.11.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। श्री वशिष्ठ के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2020 एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 के नियमों के अंतर्गत परीक्षण किया गया। निलंबन काल में श्री वशिष्ठ को केवल निर्वाह भत्ता दिया गया था तथा उक्त अवधि को सेवा काल नही माना गया है। श्री वशिष्ठ के बहाली आदेश में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि श्री वशिष्ठ के विरूद्ध एसीबी का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निलंबन काल का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। जब तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में दर्ज प्रकरण का संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय द्वारा निर्णय नही किया जाता तब तक निलंबन काल का निर्णय नही किया जा सकता। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 के नियमों के अंतर्गत निलंबन काल में केवल निर्वाह भत्ता दिया जाता है। वित्त विभाग द्वारा भी उक्तानुसार मार्गदर्शन दिया गया है। निलंबन काल का निर्णय नही होने तक नियमानुसार श्री वशिष्ठ को उक्त अवधि के कोई आर्थिक परिलाभ एवं वेतन वृद्धियां स्वीकृत नही की जा सकती है। तदनुसार श्री वशिष्ठ के अभ्यावेदन का निस्तारण एतद्द्वारा किया जाता है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(एस– 222/94)/अलेसे–II 1512-18 दिनांकः– 25-2-2021.

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायालय, जालौर।
3. कोषाधिकारी, कोषकार्यालय, जालौर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री सोमेश वशिष्ठ, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय– जिला एवं सेशन न्यायालय, जालौर।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)